

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... (538) मुकाम.....
स 3143 मन्दा..... 01/41
बनाम..... ज 2321 कप
किस्म मुकदमा..... 111,128 RPLR नं. 116 /2021/ सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
30.3.21	प्रार्थी/वादी/अपीलन्ट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान कायदाकारी/भू रोजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।	
04/05/2021	प्रार्थी वकील उपरिपत्र। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अरु प्रपत्र तामिल प्रपत्र सीमांत पीठापीठ अधिकारी उर पर रिक्त होने से मित्राल इल्लव डेटर आगामी दिनांक - 04/08/2021 को पेश हो।	
04/08/2021	प्रार्थी वकील उपरिपत्र। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अरु प्रपत्र जिसे तामिल पत्रावली त्रिभा गणा। विप्रार्थीगण वाकनुड तामिल अनुपदिपत्र। सीमांत पीठापीठ अधिकारी उर पर रिक्त होने से मित्राल इल्लव डेटर आगामी दिनांक - 13/10/2021 को पेश हो।	

13/10/2021

प्राथी वहील उपदिप्त। विप्रथीगिण अनुण।
मीमान पीठलीन अधिठारी उवाामन जोंगे डे संग
समिमान-2021 कुंयो डे वरलम होने डे मिवाल
इलतवा डोडर मगागी दिनाड 22/12/2021 डे पेश डी।
१

22/12/2021

प्राथी वहील उपदिप्त। विप्रथीगिण लाकडुड
तामिल अनुडपोदिप्त। नगामालम समम तीन बार
कावल लकाई गई उमिलम आवाज 5.45 PM पर
लकाई गई विप्रथीगिण स्वंग या इनडी मर डे
डोई अधिठार उपदिप्त नही हुआ लिहाजा विप्रथी-
गाणी डे विरुध एडतरमा डार्थवाडी समलम लई
जाली डी। अतः वास्ते कडस पमावली दिनाड -
25/01/2022 डे पेश डी। २

उपखण्ड अधिली वायतु
जिल- मडमर


25/01/2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाण
सकारान उपदिप्त। पीठासीन अधि
कारी रिगार कार्यों ने व्यक्त हैं। मिसल
इलतवा डोडर दिनाड 29/03/2022 को
पेश हों। १

29/03/2022

प्राथी वहील उपदिप्त। विप्रथीगिण अनुण।
प्राथी डे अधिठार लठस कडुन डरना चाटने
डे मीमान पीठलीन अधिठारी रिगार डार्थी डे
व्यालय होने डे मिवाल इलतवा डोडर मगागी
दिनाड - 09/06/2022 डे पेश डी। १

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09/06/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाडमेर </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 943

दिनांक

09/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बालीदेवी पत्नी शम्भूपुरी वगैरा 02,
जाति स्वामी, निवारी खरथोणियों की तला,
पटवार मण्डल कानोड,
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. जसपूरी पुत्र विरमपुरी वगैरा 12,
जाति स्वामी, निवारी खरथोणियों का
तला, पटवार मण्डल कानोड,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 116/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - खरथोणियों का तला, पटवार मण्डल - कानोड, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 706/140 रकबा क्रमशः 7.10 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर
दिनांक: 09/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 944-948

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का कानोड को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बालीदेवी पत्नी शम्भूपुरी वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री जसपूरी पुत्र विरमपुरी वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिडा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर